भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या- *29

उत्तर देने की तारीख- 05/02/2024

पीवीटीजी विकास मिशन

*29. श्री सी.पी.जोशी:

डॉ. ढालसिंह बिसेन:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2009 से लेकर जनजातीय कार्य मंत्रालय के बजटीय आबंटन में वर्ष-वार वृद्धि का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रधानमंत्री विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) मिशन के उद्देश्यों और लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने पीवीटीजी समूहों की स्थिति में सुधार करने और भारत में मान्यता प्राप्त 75 पीवीटीजी समूहों को लाभ प्रदान करने के लिए कोई अन्य कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार राजस्थान के जनजातीय क्षेत्रों के लिए किसी विशेष कार्य-योजना पर कार्य कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वर्ष 2014 से लेकर अब तक राजस्थान को आवंटित किए गए बजट का जिला-वार ब्यौरा क्या है; और

(ड.) मान्यता प्राप्त पीवीटीजी में कर्नाटक के जनजातीय समूहों की संख्या और ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जनजातीय कार्य मंत्री
(श्री अर्जुन मुंडा)

(क) से (ड.): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

''पीवीटीजी विकास मिशन'' के संबंध में श्री चन्द्र प्रकाश जोशी तथा डॉ. ढालसिंह बिसेन द्वारा दिनांक 05.02.2024 को उठाए गए लोक सभा के तारांकित प्रश्न सं. *29 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क): वित्तीय वर्ष 2009-10 से जनजातीय कार्य मंत्रालय के बजटीय आवंटन का विवरण नीचे दिया गया है:

(करोड़ रुपये में)

वित्तीय वर्ष	बजट आवंटन			संशोधित आवंटन		
	योजनाएं	गैर-योजना	कुल	योजनाएं	गैर-योजना	कुल
2009-10	3205.66	14.45	3220.11	2000.16	16.01	2016.17
2010-11	3206.66	13.71	3220.37	3205.86	15.55	3221.41
2011-12	3723.17	16.84	3740.01	3723.01	17.00	3740.01
2012-13	4090.00	18.00	4108.00	3100.00	15.55	3115.55
2013-14	4279.14	16.80	4295.94	3879.05	17.00	3896.05
		पूर्ण योग	**18584.43**			**15989.19**
2014-15	4479.19	18.77	4497.96	3850.01	21.87	3871.88
2015-16	4792.38	26.83	4819.21	4550.01	23.79	4573.80
2016-17	4800.14	26.36	4826.50	4798.64	27.86	4826.50
2017-18	5300.14	29.18	5329.32	5293.30	36.02	5329.32
2018-19	5957.18	42.82	6000.00	5957.50	42.50	6000.00
		पूर्ण योग	**25472.99**			**24601.5**
2019-20	6847.89	47.07	6894.96	7293.66	46.50	7340.16
2020-21	7355.76	55.24	7411.00	5472.50	35.50	5508.00
2021-22	7484.07	40.80	7524.87	6126.46	54.84	6181.30
2022-23	8406.92	45.00	8451.92	7246.30	54.70	7301.00
2023-24	12386.00	75.88	12461.88	7529.77	75.23	7605.00
		पूर्ण योग	**42744.63**			**33935.46**

(ख): प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएमजनमन) का उद्देश्य 3 वर्षों में पीवीटीजी घरों और बस्तियों को सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता, शिक्षा तक बेहतर पहुंच, स्वास्थ्य और पोषण सड़क और दूरसंचार कनेक्टिविटी, गैर-विद्युतीकृत घरों का विद्युतीकरण और स्थायी आजीविका के अवसरों जैसी बुनियादी सुविधाओं से एक मिशन मोड तरीके से संतृप्त करना है। पीएम-जनमन राज्य और विभागों द्वारा कैप्चर (एकत्रित) किए जा रहे पहचाने गए अंतरों के आधार पर पात्र पीवीटीजी लाभार्थियों / पीवीटीजी गांवों और बस्तियों को कवर करने के लिए 24,000 करोड़ रुपये के बजट आवंटन के साथ 9 मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे 11 महत्वपूर्ण उपायों पर केंद्रित है। पीएमजनमन के तहत 9 संबंधित मंत्रालयों द्वारा वर्ष-वार लगभग 8000 करोड़ रुपये पीवीटीजी समुदायों पर खर्च किये गये, जो जनजातीय कार्य मंत्रालय के आवंटित बजट से अधिक है।

(ग): जनजातीय कार्य मंत्रालय जनजातीय लोगों के बीच इन सबसे कमजोर वर्गों के समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास और कल्याण के उद्देश्य से "पीवीटीजी के विकास" की योजना लागू कर रहा है। संबंधित राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश को उनके प्रस्तावों के आधार पर संरक्षण सह विकास (सीसीडी) योजनाओं के लिए निधियां प्रदान की जाती हैं।

जनजातीय कार्य मंत्रालय 6वीं से 12वीं कक्षा तक अनुसूचित जनजाति के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए एक प्रमुख (फ्लैगशिप) योजना "एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस)" भी क्रियान्वित (लागू) कर रहा है। प्रत्येक ईएमआरएस में 5% सीटें पीवीटीजी छात्रों के लिए आरक्षित हैं।

राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति की योजना में, 750 स्लॉट में से 25 स्लॉट पीवीटीजी छात्रों के लिए आरक्षित हैं। अजजा छात्रों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति के तहत, 20 स्लॉट में से 3 स्लॉट पीवीटीजी अभ्यर्थी के लिए आरक्षित हैं।

(घ): जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए) वर्ष 2020-21 तक जनजातीय उप-योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता (टीएसएस को एससीए) की योजना लागू कर रहा था, जिसमें अनुसूचित जनजाति (एसटी) के विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, जल आपूर्ति, आजीविका, कौशल विकास, लघु बुनियादी ढांचे आदि से संबंधित पात्र गतिविधियों के लिए अधिसूचित अजजा (एसटी) के साथ राजस्थान सहित राज्य सरकारों को अनुदान प्रदान किया गया था। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 2021-22 से 2025-26 के दौरान कार्यान्वयन के लिए 'जनजातीय उप-योजना (टीएसएस से एससीए) को विशेष केंद्रीय सहायता' की मौजूदा योजना को 'प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना (पीएमएएजीवाई)' नामकरण के साथ नया रूप दिया है, जिसका उद्देश्य महत्वपूर्ण जनजातीय आबादी वाले गांवों में चरणबद्ध तरीके से बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना है। राजस्थान के लिए जिलेवार आवंटित निधियां **अनुलग्नक-I** पर दी गई हैं।

जनजातीय कार्य मंत्रालय संविधान के अनुच्छेद 275(1) के प्रावधानों (परंतुक) के तहत अनुदान के तहत राजस्थान सहित राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है। यह भारत सरकार से 100% अनुदान है। इस कार्यक्रम के तहत वित्त पोषण राज्य को उस राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई विकास की ऐसी योजनाओं की लागत को पूरा करने में सक्षम बनाता है जिनमें विभिन्न क्षेत्र शामिल हैं जैसे (i) शिक्षा (ii) स्वास्थ्य (iii) कृषि, बागवानी, पशुपालन (एएच), मत्स्य पालन, डेयरी और प्राथमिक क्षेत्र में अन्य (iv) जनजातीय घरेलू अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए अन्य आय सृजन योजनाएं और (v) प्रशासनिक संरचना / संस्थागत ढांचा और अनुसंधान अध्ययन।

जनजातीय कार्य मंत्रालय जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) को उनकी बुनियादी ढांचे की जरूरतों, अनुसंधान और दस्तावेज़ीकरण गतिविधियों और प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों, अद्वितीय सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जनजातीय त्योहारों यात्राओं के आयोजन और जनजातियों के आदान-प्रदान दौरों के आयोजन में मजबूत करने के लिए जनजातीय अनुसंधान संस्थान (टीआरआई) को सहायता योजना के माध्यम से राजस्थान सहित राज्य सरकारों को

सहायता प्रदान करता है ताकि जनजातीय संस्कृति प्रथाओं, भाषाओं और अनुष्ठानों को संरक्षित और प्रसारित किया जा सके।

जनजातीय कार्य मंत्रालय राजस्थान सहित संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से अजजा छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना कार्यान्वित कर रहा है। यह एक खुली (ओपन-एंडेड) योजना है जिसमें IX और X कक्षा में पढ़ने वाले अनुसूचित जनजाति के वे सभी छात्र शामिल हैं जिनके माता-पिता की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से अधिक नहीं है। भारत सरकार का अंशदान 75% है और राज्य का अंशदान 25% है। पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के संबंध में, भारत सरकार का अंशदान 90% है और राज्य का अंशदान 10% है। बिना विधानमंडल वाले अंडमान और निकोबार जैसे संघ राज्यक्षेत्रों और स्वयं के अनुदान के मामले में, भारत सरकार का अंशदान 100% है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय राजस्थान सहित संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से अजजा छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना कार्यान्वित कर रहा है। यह एक खुली (ओपन-एंडेड) योजना है जिसमें कक्षा XI में और उससे ऊपर पढ़ने वाले अनुसूचित जनजाति के वे सभी छात्र शामिल हैं जिनके माता-पिता की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से अधिक नहीं है। भारत सरकार का अंशदान 75% है और राज्य का अंशदान 25% है। पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के संबंध में, भारत सरकार का अंशदान 90% है और राज्य का अंशदान 10% है। बिना विधानमंडल वाले अंडमान और निकोबार जैसे संघ राज्यक्षेत्रों और स्वयं के अनुदान के मामले में, भारत सरकार का अंशदान 100% है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय उपरोक्त योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों को निधियां जारी करता है और 2014-15 से इस मंत्रालय की इन योजनाओं/प्रावधानों के तहत राजस्थान सरकार को जारी की गई निधियों का विवरण **अनुलग्नक - II** पर है।

"प्रधान मंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम)" की केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत, जनजातीय कार्य मंत्रालय वन धन विकास केंद्रों (वीडीवीके) की स्थापना के लिए निधियां प्रदान करता है, जो मुख्य रूप से जनजातीय एसएचजी के समूह हैं जो मूल्य संवर्धन और एमएफपी/गैर-एमएफपी के विपणन के माध्यम से पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं का लाभ उठाने के लिए बनाए गए हैं। 2019 से वीडीवीके कार्यक्रम के शुभारंभ के बाद से, भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ (ट्राइफेड) केंद्रीय कार्यान्वयन एजेंसी ने राजस्थान राज्य में 7135.60 लाख रुपये की राशि के साथ 479 वीडीवीके को मंजूरी दी है।

इसके अलावा, चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान पीएम-जनमन के तहत राजस्थान सरकार को 16 बहुउद्देश्यीय केंद्रों (एमपीसी) की स्थापना के लिए 332.64 लाख रुपये और 50 वन धन विकास केंद्रों (वीडीवीके) के लिए 432.95 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं।

(ङ.): कर्नाटक राज्य में दो जनजातीय समुदायों अर्थात जेनु कुरुबा और कोरगा को पीवीटीजी के रूप में चिन्हित किया गया है।

अनुलग्नक – I

''पीवीटीजी विकास मिशन'' के संबंध में श्री चन्द्र प्रकाश जोशी तथा डॉ. ढालसिंह बिसेन द्वारा दिनांक 05.02.2024 को उठाए गए लोक सभा के तारांकित प्रश्न सं. *29 के भाग (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

पीएमएएजीवाई के तहत स्वीकृत निधियों सहित ग्राम विकास योजनाओं का जिलेवार विवरण					
क्र.सं.	राज्य का नाम	जिले का नाम	पीएमएएजीवाई के तहत पहचाने गए गांवों की संख्या	स्वीकृत कुल वीडीपी (01-02-24 तक)	निधि स्वीकृत (लाख में)
1	राजस्थान	बांसवाड़ा	939	294	5991.00
2	राजस्थान	डूंगरपुर	578	181	3688.00
3	राजस्थान	प्रतापगढ़	354	111	2262.00
4	राजस्थान	उदयपुर	905	274	5585.00
5	राजस्थान	धौलपुर	43	42	755.00
6	राजस्थान	करौली	161	160	3260.00
7	राजस्थान	जैसलमेर	3	3	51.00
8	राजस्थान	जालोर	9	9	153.00
9	राजस्थान	सिरोही	104	104	1519.00
10	राजस्थान	अजमेर	6	6	22.00
11	राजस्थान	टोंक	71	70	1126.00
12	राजस्थान	बूंदी	101	101	1818.00
13	राजस्थान	कोटा	23	23	452.00
14	राजस्थान	बारां	116	116	2324.00
15	राजस्थान	झालावाड़	73	72	1465.00
			3486	1566	**30471.00**

अनुलग्नक – II

''पीवीटीजी विकास मिशन'' के संबंध में श्री चन्द्र प्रकाश जोशी तथा डॉ. ढालसिंह बिसेन द्वारा दिनांक 05.02.2024 को उठाए गए लोक सभा के तारांकित प्रश्न सं. *29 के भाग (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

2014-15 से 2023-24 तक जनजातीय कार्य मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं/प्रावधानों के तहत राजस्थान सरकार को जारी निधियों का विवरण (लाख रुपये में)

वर्ष	टीएसएस को एससीए (2020-21 तक)/पीएमएएजीवाई (2021-22 से)	अनुच्छेद 275(1) का प्रावधान (परंतुक)	टीआरआई को सहायता	अजजा के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति	अजजा के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	पीवीटीजी का विकास
2014-15	8822.04	9755.92	77.33	2383.34	6440	1500.00
2015-16	10190.00	11000.00	63.25	-	10890.43	1076.09
2016-17	11072.90	10341.39	0.00	-	9800	1331.00
2017-18	10051.83	10240.58	169.25	3284.79	19912.49	1038.00
2018-19	10327.93	13769.23	214.00	1716.12	13598.95	1008.00
2019-20	11461.41	15586.19	-	5346.97	25950.52	968.10
2020-21	8662.66	9166.00	8.89	3126.9	25557.03	968.00
2021-22	7224.71	10435.21	215.34216	6234.34	13744.7	706.17
2022-23	15269.66	11002.53	-	3530.8	18810.1	1120.63
2023-24 (31.01.2024 तक)	-	4243.70	-	-	22000.00	-

*****